संख्या-544/2026/2495/22-2-2025-17(1200)/2019

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तिलकधारी पुत्र श्री हरिहर मौर्य, निवासी जनपद-वाराणसी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-87880/प्रो0अनु0(2)-309/2025 (बैठक दिनांक 19.12.2025), दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तिलकधारी पुत्र श्री हरिहर मौर्य, जो ग्राम-बलकट, थाना-कपसेठी, जनपद-वाराणसी का निवासी है। दिनांक 20.12.2002 को उम्र लगभग 12-13 वर्ष की लड़की का बलात्कार करने का प्रयास किया, लड़की द्वारा विरोध किये जाने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-127/2003 भा0द0वि0 की धारा-302, 376/511, 201 के अन्तर्गत मा० अपर न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय संख्या-03) वाराणसी के आदेश दिनांक 01.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.11.2025 तक बंदी द्वारा अपरिहार 22 वर्ष, 11 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष 05 माह 15 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 29.11.2025 तक बंदी की आयु लगभग 48 वर्ष है।

पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी ने बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नहीं आने, बन्दी के भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी पुन: अपराध कर सकने में अशक्त नहीं होने, बंदी के रिहा होने पर परिवार में रोष व्याप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनांक 23.07.2025 द्वारा अंकन किया कि नॉमिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त हो तो न्यायालय को अभियुक्त की समयपूर्व रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 20.12.2002 को उम्र लगभग 12-13 वर्ष की लड़की का बलात्कार करने का प्रयास किया, लड़की द्वारा विरोध किये जाने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तार-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी तिलक धारी पुत्र श्री हरिहर मौर्य को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तिलकधारी (बन्दी संख्या-42961) पुत्र श्री हरिहर मौर्य, निवासी जनपद-वाराणसी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-544/2026/2495(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।